

कार्यालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, बांसी, सिद्धार्थनगर।

नीलामी सूचना

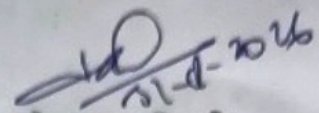
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/जे०एम०, बांसी, सिद्धार्थनगर के परिसर में स्थित कैन्टीन (चाय/जलपान) तथा पान की दुकान की नीलामी वित्तीय वर्ष 2026-2027 (01.04.2026 - 31.03.2027) में चलाने हेतु नीलामी की जाएगी और उन दुकानों को चलाने वाले दुकानदार को दुकान (चाय/जलपान तथा पान की दुकान) का आवंटन किया जाएगा। आवंटित दुकानों को आवंटन के बाद सफाई व विद्युत की व्यवस्था ठेकेदार को स्वयं करनी होगी।

क्रम संख्या	दुकानों का विवरण	न्यूनतम बोली की धनराशि
1	कैन्टीन (चाय/जलपान)	165000 रुपये
2	पान की दुकान	21961.5 रुपये

1. कैन्टीन(चाय/जलपान) हेतु जमानत धनराशि मु०-16500/- रुपये तथा पान की दुकान हेतु जमानत धनराशि मु०-2200/- रुपये होगी।
2. यह धनराशि बोली में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को बोली बोलने से पहले जमा करनी पड़ेगी तथा जिस व्यक्ति की बोली स्वीकार की जायेगी, उसकी जमानत की धनराशि उसके द्वारा लिये गये ठेके की धनराशि में समायोजित की जायेगी। शेष लोगों की धनराशि बोली के पश्चात उन्हें वापस कर दी जाएगी।
3. जिन व्यक्तियों के पक्ष में उपरिवर्णित दुकानों की बोली समाप्त होगी, उन्हें ठेके की धनराशि का 50 प्रतिशत ठेके में ली गयी दुकानों अथवा स्थान पर व्यवसाय प्रारम्भ करने के पूर्व जमा करना होगा तथा शेष धनराशि समान मासिक किस्तों में 31 दिसम्बर, 2026 तक, प्रत्येक माह अदा करना होगा, अन्यथा उन्हें दुकान चलाने से रोक दिया जाएगा।
4. यदि ठेकेदार ठेके की धनराशि 31 दिसम्बर, 2026 तक जमा नहीं करते हैं, तो बकाया धनराशि की वसूली भू-राजस्व की भांति की जाएगी।
5. जो भी बोली स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार जनपद न्यायाधीश महोदय के पास सुरक्षित रहेगा और उसे बिना कारण बताये क्रियान्वित किया जाएगा।
6. व्यवसाय से सम्बन्धित जो भी देयता व्यवसाय करने वाले को शासन को अदा करना होता है, वे व्यवसाय करने वाले स्वयं अदा करेंगे।
7. प्रत्येक ठेकेदार को बेचे जाने वाले वस्तुओं की मूल्य सूची अपने दुकान के बाहर प्रभारी अधिकारी नज़ारत से अनुमोदित कराने के पश्चात अपने दुकान के बाहर प्रदर्शित करेगा।
8. ठेकेदार द्वारा बिक्री किये जाने वाले सामानों की गुणवत्ता पर प्रभारी अधिकारी नज़ारत का नियंत्रण रहेगा।
9. यदि ठेकेदार वित्तीय वर्ष 2026-2027 (01.04.2026 - 31.03.2027) के पूरा होने से पूर्व अपने व्यवसाय को किसी कारणवश बन्द करता है तो ठेके की सम्पूर्ण धनराशि उससे बतौर भू-राजस्व वसूल की जाएगी।
10. जिस व्यक्ति द्वारा किसी ठेके की नीलामी लेना है, वह नीलामी की दुकान चलाने के लिए दो जमानतदार देने होंगे। यदि ठेकेदार अपनी दुकान नहीं चलाता है, तो नीलामी की धनराशि नियमानुसार वसूल की जाएगी।

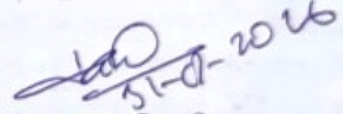
उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर ठेका तुरन्त समाप्त कर दिया जाएगा।
उपरोक्त दुकानों की नीलामी दिनांक- 10.09.2026 को सायं 04.30 बजे से सिविल जज
(जू०डि०) बाह्य न्यायालय, बांसी, सिद्धार्थनगर में की जाएगी।

दिनांक-31.08.2026


(सतीश कुमार त्रिपाठी)
अध्यक्ष, नीलामी समिति
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
बाह्य न्यायालय, बांसी, सिद्धार्थनगर।

प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ हेतु निम्न को प्रेषित-

1. अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, बांसी, सिद्धार्थनगर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
2. सिविल जज (जू०डि०)/जे०एम०, बांसी, सिद्धार्थनगर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
3. सिविल बार एसोसिएशन बांसी, सिद्धार्थनगर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
4. सिस्टम आफिसर को मा० उच्च न्यायालय एवं जनपद न्यायालय सिद्धार्थनगर की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. तहसील बांसी, सिद्धार्थनगर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
6. नगर पालिका परिषद बांसी, सिद्धार्थनगर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
7. रोडवेज बांसी, सिद्धार्थनगर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
8. दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन करने हेतु।


(सतीश कुमार त्रिपाठी)
अध्यक्ष, नीलामी समिति
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
बाह्य न्यायालय, बांसी, सिद्धार्थनगर।